

उत्तराखण्ड शासन
ग्रा०-१५ श्रम अनुभाग
संख्या : VIII / 19-01(श्रम) / 2005
देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, बॉयलर अधिनियम, 1923, (केन्द्रीय अधिनियम) के अंतर्गत बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स नियमावली, 2011 के नियम 9 प्रस्तर (1) व (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में बॉयलर्स पर कार्यरत अभियंताओं को certificate of proficiency निर्गत करने तथा परीक्षा आयोजित कराने के लिये परीक्षकों के बोर्ड (Board of Examiners) का गठन निम्नवत् करने की एतद्वारा सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मुख्य निरीक्षक बॉयलर, उत्तराखण्ड - अध्यक्ष (पदन)
 2. सहायक निदेशक बॉयलर, उत्तराखण्ड - सचिव(पदन)
 3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के - सदस्य विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
 4. जी0बी0 पंत कृषि एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
 5. भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, हरिद्वार के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित - सदस्य ऐसे अधिकारी जिन्हें बॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।
 6. आई०जी०एल०, काशीपुर के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित ऐसे अधिकारी - सदस्य, जिन्हें बॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।
 7. डोईवाला चीनी मिल, डोईवाला के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित ऐसे अधिकारी जिन्हें बॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।
2. पदन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स नियमावली, 2011 के नियम 10 के अनुसार तीन वर्ष होगा, किन्तु प्रतिबंध यह रहेगा कि जहां किसी सदस्य का उत्तराधिकारी उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के दिनांक को अथवा उसके पूर्व गजट में अधिसूचित न किया जाये तो वह सदस्य अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी उस समय तक जब तक कि उनका उत्तराधिकारी गजट में अधिसूचित न कर दिया जायें, पदधारण करेगा।
- 3- उक्त बोर्ड, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स नियमावली, 2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(हरबंस सिंह चूध)
सचिव।
८/८

पृष्ठांकन संख्या: (1)/VIII/2019-01(श्रम)/2005, तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स परीक्षकों का बोर्ड, उत्तराखण्ड ।
2. सचिव, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स, परीक्षकों का बोर्ड, उत्तराखण्ड ।
3. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड ।
4. बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स परीक्षकों के बोर्ड के समस्त सदस्य
5. निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

M.
(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव ।

०१८